कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक एफ ( ) 2020–21/एफसीए/मुवसंभ/ 1190 दिनांक 26/2/2021

निमित्त,

उप वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय :–Diversion of 0.2652 ha. Of forest land for Replacement of old pipe line by di pipe line malah hesd works to sewar fort and sewar fort to depot area, kanjoli lines at amn depot Bharatpur, District- Bharatpur (RAJ.) Online Proposal number - FP/RJ/WATER/43853/2020

संदर्भः–संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प. 1 (138)वन/2020 दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर का ऑनलाईन ई.डी.एस. दिनांक व आपका पत्रांक 1226 दिनांक 24.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण के ऑनलाईन पार्ट II में आप द्वारा निम्नवत टिप्पणी की जाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था :– Part of the project area is falling within the Notified ESZ of Protected area of Keoladeo National Park, Bharatpur. The area falling within the ESZ is length 0.01524 Hectare. जिसके उपरान्त इस कार्यालय व अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर द्वारा बाद अभिशंषा प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था। इसी कम में संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 17.12.2020 (प्रति संलग्न) से प्रस्तावित विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के ई.एस.जेड. के अन्तर्गत आने के कारण प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी/अभिशंषा चाही है।

इसी कम में आप द्वारा दिनांक 24.02.21 को ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाया गया है जिसमें संलग्न आपके संदर्भित पत्र दिनांक 24.02.2021 के अनुसार "इस प्रोजेक्ट को Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है और यह पाईप लाईन प्रोजेक्ट केवल ईको संसेटिव जोन में से होकर गुजर रही है, इसलिए Wildlife Clearance की भी आवश्यकता नहीं है। ईको संसेटिव जोन में आने वाली गतिविधियां जिला स्तरीय समिति द्वारा ही Regulated की जाती हैं इनमें Wildlife Clearance की आवश्यकता नहीं होती है एवं केवल वे प्रोजेक्ट जिनको Environmental Clearance की आवश्यकता होती है और ऐसे प्रोजेक्ट अगर ईको संसेटिव जोन में आये तभी उनको Wildlife Clearance चाहिये होती है।" उक्त पत्र में आप द्वारा अपनी राय जाहिर करते हुये टिप्पणी/अभिशंषा की है कि प्रोजेक्ट में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी/अभिशंषा अपेक्षित नहीं है।

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में चूंकि 0.01524 है. प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन क्षेत्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के ई.एस.जेड. के अन्तर्गत आ रहा है, इसलिए संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी/अभिशंषा चाही है । साथ ही प्रकरण में आप द्वारा पूर्व में ही अपने पार्ट II में अभिशंषा/टिप्पणी की जा चुकी है इसलिए संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के संदर्भित पत्र के कम में आपके स्तर से अभिशंषा/टिप्पणी/राय हेतु प्रस्ताव में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः आप इस सम्बन्ध में यूजर एजेन्सी को ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करें एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 17.12.2020 के कम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी/अभिशंषा हेतु उप वन संरक्षक, (वन्यजीव), केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के माध्यम से कार्यवाही यूजर एजेन्सी से करावें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर की टिप्पणी/अभिशंषा अनुसार ऑनलाईन इन्द्राज प्रस्ताव इस कार्यालय को ऑनलाईन प्रस्तुत करें। इस सम्बन्ध में यूजर एजेन्सी को उनके पत्र 4118–22 दिनांक 19.02.2021 के कम में इस कार्यालय के पत्र 1104 दिनांक 23.02.2021 से पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है।

भवदीय

(डॉ. सी.आर.मीणा)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कमांक एफ ( ) 2020–21/एफसीए/मुवसंभ/ 1191-92
दिनांक 26/02/2021

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, नगर खण्ड, भरतपुर।

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

Scanned with CamScanner